चित्रकूट पुलिस

(1). मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

आज दिनाँक 05.11.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुम कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा (थाना सरधुवा द्वारा पटौनी में,थाना मानिकपुर द्वारा कस्बा मानिकपुर में,थाना बहिलपुरवा द्वारा सेमरदहा में,थाना राजापुर द्वारा कस्बा राजापुर में,थाना कोतवाली कर्वी द्वारा कस्बा कर्वी में,थाना मऊ द्वारा कस्बा मऊ में) स्थानों पर भ्रमण कर मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का

अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में बढ़ते साइबर अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल साइबर अपराध श्री पीयूष कान्त राय एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में जनपदीय साइबर सेल एवं थाना रैपुरा पुलिस टीम द्वारा QR कोड के माध्यम से साइबर फ्रॉड करने वाले 03 अभियुक्तों को 02 अदद मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.सिद्धार्थ आदिवासी पुत्र समरजीत आदिवासी निवासी ओसा थाना कौधियारा प्रयागराज

2.प्रियांशु पुत्र उदयराज निवासी इकौनी थाना कौधियारा प्रयागराज

3.नितिन प्रताप सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रताप सिंह निवासी इकौनी थाना कौधियारा प्रयागराज

वांछित अभियुक्तों का विवरण-

1.राज मिश्रा पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात

2.आलोक शुक्ला पुत्र मनोज शुक्ला निवासी ग्राम ओसा पोस्ट बेउरा थाना कौधियारा जनपद प्रयागराज

बरामदगी का विवरण-

02 अदद मोबाइल बरामद

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक/समय-

बन्धाना मोड़ जयन्ती बाँध हनुमानगंज थाना रैपुरा/04.11.2026/18.45 बजे

संक्षिप्त विवरणः-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 04.11.2026 को वादी रविकान्त सिंह पटेल पुत्र रमाकान्त सिंह पटेल निवासी मनौरी प्रयागराज द्वारा थाना रैपुरा में सूचना दी गयी कि उनके पेट्रोल पम्प कमला फिलिंग स्टेशन देउधा थाना रैपुरा पर दिनाँक 02.11.2026 को 19.48 बजे 1.सिद्धार्थ आदिवासी पुत्र समरजीत आदिवासी निवासी ओसा कौधियारा प्रयागराज 2.प्रियांशु पुत्र उदयराज निवासी इकौनी कौधियारा प्रयागराज 3.नितिन प्रताप सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रताप सिंह निवासी इकौनी कौधियारा प्रयागराज द्वारा 650/- रूपये का पेट्रोल डलवाया गया और जानबूझ कर 65000/- रूपये पेट्रोल पम्प के QR कोड पर ट्रांसफर किये गये। उसी समय सिद्धार्थ के साथी राज मिश्रा व आलोक शुक्ला का फोन सिद्धार्थ आदिवासी के फोन पर आया की गलती से 65000/- पेट्रोल पम्प के QR कोड पर चले गये। राज मिश्रा ने पेट्रोप पम्प की सेल्समैन से 650/- रूपये काटकर बाकी पैसा वापस करने को कहां, सेल्समैन द्वारा 64350/- रूपये सिद्धार्थ आदिवासी को दे दिये। दिनाँक 03.11.2026 को पेट्रोल पम्प का खाता होल्ड हो गया। पुनः दिनाँक 03.11.2026 को शाम को उपर्युक्त युवक पेट्रोल पम्प पर आये और सेल्समैन से कहे कि 100000/- रूपये ट्रांसफर कर रहे है। नगद रूपये की व्यवस्था करके हमे दे दो। उसी समय पेट्रोल पम्प के मालिक रविकान्त पटेल मौके पर आ गये और शक होने पर युवकों से पूंछताछ करने लगे तो युवक मोटर साइकिल से भाग गये। पेट्रोल पम्प के मालिक द्वारा पुलिस चौकी हनुमानगंज,थाना रैपुरा पर सूचना दी गयी।

इसी क्रम में दिनाँक 04.11.2026 को वादी देवराज यादव पुत्र हृदयनारायण यादव निवासी कलापुर थाना ऊँज जनपद भदोही द्वारा थाना रैपुरा को सूचना दी गयी कि दिनाँक 02.11.2026 को समय करीब 09.30 बजे रात्रि को रैपुरा फिलिंग स्टेशन बोड़ीपोखरी पर राज मिश्रा पुत्र अज्ञात निवासी करछना जनपद प्रयागराज आया और कहा कि नहर में काम चल रहा है, डीजल और पैसे की आवश्यकता है। जिसके पश्चात राज मिश्रा 70495/- रूपये का डीजल लेकर पेट्रोल पम्प के QR कोड पर 208696/- रूपये ट्रांसफर किये जिसमें से 138200/- रूपये नगद ले लिया। जिसके उपरान्त पेट्रोल पम्प का खाता होल्ड हो गया।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रभारी साइबर सेल एवं प्रभारी रैपुरा को गहनता से जाँच कर विधिक कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

प्रभारी साइबर सेल निरीक्षक श्री विजय कुमार सिंह व आरक्षी प्रशान्त कुमार, आरक्षी सर्वेश कुमार (साइबर सेल) द्वारा बैंक से समन्वय स्थापित कर गहनता से जानकारी की गयी तो दोनों ही घटना सही पायी गयी।

जिसके उपरान्त थाना रैपुरा में क्रमशः मु0अ0सं0 294/2026 धारा 318(4), 319(2), 316(2), 317(2),(5), 3(5),62 बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट व मु0अ0सं0 295/2026 धारा 318(4), 319(2),112(2),317(2),3(5) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना रैपुरा पुलिस टीम द्वारा दिनाँक 04.11.2026 को अभियुक्त 1.सिद्धार्थ आदिवासी पुत्र समरजीत आदिवासी निवासी ओसा कौधियारा प्रयागराज 2.प्रियांशु पुत्र उदयराज निवासी इकौनी कौधियारा प्रयागराज 3.नितिन प्रताप सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रताप सिंह निवासी इकौनी कौधियारा प्रयागराज को बन्धाना मोड़ जयन्ती बाँध हनुमानगंज थाना रैपुरा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों से कड़ाई से पूंछताछ की गयी तो बताया कि हम तीनों मिलकर राज मिश्रा व आलोक शुक्ला के कहने पर पिछले तीन माह से प्रयागराज के थाना कौधियारा,हड़िया एवं नैनी में भी धोखाधड़ी की धनराशि को विभिन्न पेट्रोल पम्पों से इसी तरह नगद प्राप्त करते थे। जिसके एवज में हमें मोटर साइकिल के लिए पेट्रोल एवं हमारे खर्चे के लिए 2-3 हजार रूपये प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिए मिलते थे।

दिनाँक 02.11.2026 को कमला फिलिंग स्टेशन देउधा थाना रैपुरा, रैपुरा फिलिंग स्टेशन बोड़ीपोखरी जनपद चित्रकूट में हमलोग आये और हमारे साथियों द्वारा पहले से ही हैक किये गये मोबाइल फोन से पेट्रोल पम्प के QR कोड को भेज कर पैसो का ट्रांजेक्शन किया गया था जिससे पेट्रोल पम्प के खाते होल्ड हो गये और अगली बार घटना कारित करने से पहले ही पम्प मालिकों को हम लोगो पर शक हो गया था इसलिए हमलोग अगला ट्रांजेक्शन करने से पहले पकड़ लिये गये।

जनपदीय साइबर सेल द्वारा तकनीकी विश्लेषण- दोनों पेट्रोल पम्पों के खातों की जाँच में सामने आया कि रैपुरा फीलिंग स्टेशन पर उपर्युक्त अभियुक्तों द्वारा डाले गये पैसे राजस्थान के जैसलमेर से मोबाइल फोन हैक कर QR कोड पर 208696/- रूपये विभिन्न ट्रांजेक्शनों से क्रेडिट किये गये और धनराशि नगद प्राप्त कर ली गयी। देउधा पेट्रोल पम्प पर उपर्युक्त अभियुक्तों द्वारा इसी प्रकार तमीलनाडु के चेंगलपट्टू से फोन हैक कर 65000/- रूपये पम्प के QR कोड पर भेजकर नगद प्राप्त किये गये।

चूँकि पेट्रोल पम्प का QR कोड मर्चेन्ट QR कोड होने के कारण अधिक से अधिक धनराशि का खपत कर सकते थे। दिनाँक 02.11.2026 को दोनों ही पेट्रोल पम्प पर किये गये ट्रांजेक्शनों से सफलता पूर्वक नगद धनराशि प्राप्त कर चुके थे। पुनः धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि को नगद में परिवर्तित करने हेतु आये थे किन्तु पूर्व में किये गये ट्रांजेक्शनों से पेट्रोल पम्पो के खाते साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों के वजह से होल्ड हो गये थे।

अभी तक की जाँच में संगठित गिरोह द्वारा वृहद स्तर पर साइबर धोखाधड़ी किया जाना पाया गया। मुकदमों उपर्युक्त में वांछित एवं गिरोह में सम्मिलित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है।

जामा तलाशी ली गयी तो अभियुक्त सिद्धार्थ उपर्युक्त के कब्जे से 01 अदद मोबाइल फोन ओप्पो कम्पनी एवं अभियुक्त प्रियांशु की जामा तलाशी से 01 अदद मोबाइल फोन वीवो कम्पनी का बरामद हुआ। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस चेचिस नं0 MBLHAW476THJL5046 को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री हरिकेश राय चौकी प्रभारी हनुमानगंज,थाना रैपुरा

2.मुख्य आरक्षी अशोक कुमार

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री निशिकान्त राय द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति का अभ्यस्त अपराधी जो दबंगई व गुण्डई के बल पर भोली-भाली जनता में गाली गलौज,जान से मारने की धमकी देने,भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले अभियुक्त 1.विनीत कुमार पुत्र लक्ष्मी प्रसाद निवासी ग्राम महाराजपुर थाना पहाडी जनपद चित्रकूट 2.लक्ष्मण पुत्र भोंदू निवासी ग्राम कहेटामाफी थाना पहाडी जनपद चित्रकूट 3.अविनाथ उर्फ पिंकू पुत्र बब्बू गौतम उर्फ बाबूलाल निवासी सालिकपुर थाना पहाडी जनपद चित्रकूट 4.अनूप पुत्र अजय निवासी ग्राम सालिकपुर थाना पहाडी जनपद चित्रकूट 5.राजा भइया पुत्र रामनरेश निवासी ओरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 129 बीएनएसएस की कार्यवाही की गयी।

(4).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अभयराज सिंह, पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 05.11.2026 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 168/2020 धारा 08/20 NDPS एक्ट के आरोपी अभियुक्त रवि रैकवार उर्फ चम्भा पुत्र राजू रैकवार निवासी दुलारे होटल के सामने वाली गली बल्दाऊगंज थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गई अवधि व 1200/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(5).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अभयराज सिंह, पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 05.11.2026 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 167/2020 धारा 08/20 NDPS एक्ट के आरोपी

अभियुक्त पिन्टू यादव पुत्र स्व0 कैलाश यादव निवासी मुलायमनगर मजरा बनकट थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गई अवधि व 2200/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(6).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष रैपुरा राम सिंह, पैरोकार मुख्य आरक्षी अवधेश शुक्ला, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 05.11.2026 को थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 100/2019 धारा 08/20 NDPS एक्ट के आरोपी अभियुक्त दिलीप कुमार पुत्र शिवशंकर द्विवेदी निवासी ग्राम भौरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गई अवधि व 2180/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(7).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री निशिकांत राय एवं पैरोकार आरक्षी अबरार हुसैन द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री प्रभाष रंजन गुप्ता द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डि0 श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनाँक 05.11.2026 को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 182/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त चंदन उर्फ चुन्नू पुत्र भइयालाल निवासी पहाड़ी बुजुर्ग थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 6592/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

(8).पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लंबित वादों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा दिलाए जाने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अभयराज सिंह, पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गई प्रभावी पैरवी तथा सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गई प्रभावी प्रस्तुति एवं बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय,जनपद चित्रकूट श्री अभिनव कुमार दुबे द्वारा दिनांक 05.11.2026 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 1333/2010 धारा 25 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त संजय पुत्र भरोसीलाल निवासी भवानीपुर जनपद बांदा,हाल पता गंगा जी रोड पुरानी बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गई अवधि व 200/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(9).आज दिनांक 05.11.2026 को अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन, प्रयागराज श्री ज्योति नारायण द्वारा पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र, बांदा श्री राजेश एस. एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में दीपावली अमावस्या मेला एवं गोवर्धन पूजा के दृष्टिगत जनपद चित्रकूट स्थित रामघाट, रामसैया, भरतकूप मंदिर, रैन बसेरा, परिक्रमा मार्ग एवं विभिन्न पार्किंग स्थलों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था एवं श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु की गई तैयारियों का जायजा लिया गया।

आगामी दीपावली अमावस्या मेले में लगभग 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना के दृष्टिगत अपर पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा प्रशासन एवं पुलिस विभाग को आपसी समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करते हुए मेले को सकुशल एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के निर्देश दिए गए।

महोदय द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत मंदाकिनी नदी में पर्याप्त संख्या में नावों, पीएसी एवं फ्लड टीम की तैनाती सुनिश्चित करने तथा संवेदनशील एवं प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही घाटों एवं नदी के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखने तथा श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने हेतु प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।

यातायात व्यवस्था के संबंध में रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर एवं रेलवे प्रशासन से समन्वय स्थापित कर श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाने तथा रेलवे स्टेशन तक पहुंचने एवं वहां से वापस जाने के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त भीड़ एवं यातायात के दबाव को देखते हुए आवश्यकतानुसार प्रभावी यातायात डायवर्जन प्लान तैयार कर उसका कड़ाई से अनुपालन कराने तथा पार्किंग स्थलों पर समुचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

अपर पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा एवं सुगम आवागमन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूर्ण सतर्कता एवं मुस्तैदी के साथ ड्यूटी का निर्वहन करें, जिससे दीपावली अमावस्या मेला एवं गोवर्धन पूजा का आयोजन सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराया जा सके।